भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4680

28 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

तमिलनाडु में सिद्ध केंद्र

4680. श्री सी.एन.अन्नादुरई:
श्री नवसकनी के.:
श्री जी. सेल्वम:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर तमिलनाडु में कार्यरत सिद्ध केंद्रों की राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने सिद्ध चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए कोई जागरूकता कार्यक्रम या शैक्षिक अभियान चलाया है और यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान सिद्ध प्रणाली के प्रचार और विकास के लिए प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सिद्ध चिकित्सा को मुख्यधारा की स्वास्थ्य सेवा में एकीकृत करने के लिए कोई नीति या कार्य योजना बनाई है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (एबी-एचडब्ल्यूसी) के अंतर्गत सिद्ध-आधारित उपचार प्रदान करने वाले अस्पतालों और कल्याण केंद्रों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देश में सिद्ध चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ङ) देश में वर्तमान में राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार कितने सिद्ध चिकित्सा महाविद्यालय और अनुसंधान संस्थान संचालित हैं; और

(च) सरकार ने सिद्ध चिकित्सा प्रणाली में अधिक छात्रों और शोधकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए क्या उपाय किए हैं?

<u>उत्तर</u>

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): देश में 298 सिद्ध अस्पताल और 918 सिद्ध औषधालय कार्यशील हैं। जिनमें से 289 सिद्ध अस्पताल और 790 सिद्ध औषधालय तमिलनाडु में कार्यशील हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार वितरण **संलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख): आयुष मंत्रालय ने सिद्ध चिकित्सा पद्धति और सिद्ध औषधियों के संवर्धन और विकास के लिए चेन्नई, तमिलनाडु में राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान (एनआईएस) और केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद (सीसीआरएस) मुख्यालय की स्थापना की है। सीसीआरएस ने सिद्ध चिकित्सा के बारे में जागरूकता और पहुंच को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित पहलों को कार्यान्वित किया है।

i. स्वास्थ्य रक्षण कार्यक्रम
ii. पोषण अभियान गतिविधियाँ

iii. सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियाँ
iv. राष्ट्रीय टेली-परामर्श सेवा (ई-संजीवनी ओपीडी)
v. एनआईएस के सहयोग से सिद्ध वेलनेस रैली एवं जागरूकता अभियान
vi. एनआईएस के सहयोग से सिद्ध दिवस समारोह
vii. शैक्षणिक और संवेदीकरण कार्यक्रम
viii. डिजिटल और मीडिया आउटरीच
ix. शैक्षणिक पहलें

विगत पांच वर्षों के दौरान सीसीआरएस और एनआईएस को आवंटित धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा **संलग्नक-II** पर दिया गया है।

आयुष मंत्रालय आयुष चिकित्सा पद्धतियों सहित सिद्ध चिकित्सा पद्धति के बारे में जागरूकता लाने के लिए आयुष में सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) के संवर्धन हेतु केंद्रीय क्षेत्र की योजना कार्यान्वित करता है। इसका उद्देश्य देश भर में आबादी के सभी वर्गों तक पहुंचना है। यह योजना राष्ट्रीय/राज्य आरोग्य मेलों, योग फेस्ट/उत्सवों, आयुर्वेद पर्व आदि के आयोजन के लिए सहायता प्रदान करती है। मंत्रालय सिद्ध पद्धति सहित आयुष पद्धति के बारे में जागरूकता लाने के लिए मल्टीमीडिया, प्रिंट मीडिया अभियान भी चलाता है। आईईसी योजना के तहत एनआईएस और सीसीआरएस के अनुरोध के आधार पर सीसीआरएस और एनआईएस को, सिद्ध दिवस मनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। विगत पांच वर्षों में प्रदान की गई वित्तीय सहायता का विवरण **संलग्नक-III** पर दिया गया है।

(ग): भारत सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) में सिद्ध सहित आयुष सुविधाओं के सह-स्थापन की कार्यनीति अपनाई है, जिससे मरीजों को एक ही स्थान पर विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के लिए विकल्प चुनने में मदद मिलती है। सिद्ध सहित आयुष डॉक्टरों/पैरामेडिक्स की नियुक्ति और उनके प्रशिक्षण को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा समर्थन दिया जाता है, जबकि सिद्ध सहित आयुष अवसंरचना, उपकरण/फर्नीचर और दवाओं के लिए साझा जिम्मेदारियों के रूप में राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के तहत आयुष मंत्रालय द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है।

(घ): आयुष मंत्रालय आयुर्ज्ञान नामक केंद्रीय क्षेत्र की योजना क्रियान्वित करता है। आयुर्ज्ञान योजना के 'आयुष में क्षमता निर्माण और सतत चिकित्सा शिक्षा' घटक में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए देश भर के पात्र संस्थानों को समर्थन देने का प्रावधान है, जिसका उद्देश्य सिद्ध सहित आयुष कर्मियों को आवश्यकता-आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना और ज्ञान अंतराल को पूरा करना है।

आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी चिकित्सा पद्धतियों की चिकित्सा शिक्षा को विनियमित करने के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएसएम) की स्थापना की है। एनसीआईएसएम ने निम्नलिखित क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं:-

i. अनुसंधान एवं नवाचार प्रकोष्ठ के समन्वयकों के लिए उद्यमिता विकास पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण
ii. एकेडेमिया- इंडस्ट्रिया इंटरफ़ेस
iii. योग्यता आधारित पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या पर अभिविन्यास कार्यक्रम
iv. क्षमता निर्माण कार्यक्रम 'शैक्षिक योजना एवं प्रशासन'
v. पोस्ट ग्रेजुएट-गाइड ओरिएंटेशन प्रोग्राम

सीसीआरएस और एनआईएस सिद्ध चिकित्सा प्रणाली से संबंधित सेमिनार, वेबिनार, कार्यशालाएं, सम्मेलन, सतत चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम, जागरूकता कार्यक्रम, व्याख्यान श्रृंखला, चिकित्सा शिविर आयोजित करते हैं।

(ङ): देश में वर्तमान में 17 सिद्ध मेडिकल कॉलेज और 9 अनुसंधान संस्थान कार्यरत हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार वितरण **संलग्नक-IV** पर दिया गया है।

(च): सीसीआरएस ने छात्रों और शोधकर्ताओं के बीच सिद्ध चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित पहलों को कार्यान्वित किया है, जिससे इस पारंपरिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में अधिक से अधिक भागीदारी को बढ़ावा मिले। निम्नलिखित पहलों को कार्यान्वित करके, सीसीआरएस छात्रों और युवा विद्वानों के लिए सिद्ध चिकित्सा को अधिक आकर्षक और शोध-उन्मुख कैरियर विकल्प बनाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है।

i. इंटर्नशिप कार्यक्रम
ii. लघु परियोजना प्रस्ताव अनुदान
iii. अनुसंधान प्रकाशन और वैज्ञानिक योगदान
iv. पेटेंट
v. कार्यशालाएं, सेमिनार और सम्मेलन
vi. एकीकृत अनुसंधान के अवसर
vii. सिद्ध दिवस समारोह
viii. मीडिया एवं प्रकाशनों के माध्यम से जागरूकता
ix. सिद्ध-आधारित स्वास्थ्य सेवा से परिचय
x. शैक्षणिक सहयोग और प्रशिक्षण

भारत सरकार सिद्ध चिकित्सा पद्धति के वैश्विक स्तर पर प्रचार-प्रसार के लिए देश के सिद्ध मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश पाने के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) कार्यक्रम के माध्यम से विदेशी छात्रों को प्रायोजित कर रही है।

****

संलग्नक-I

दिनांक 01.04.2023 तक देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सिद्ध अस्पतालों और औषधालयों की संख्या:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सिद्ध अस्पतालों की संख्या	सिद्ध औषधालयों की संख्या
क. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र			
1	आंध्र प्रदेश	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0
3	असम	0	0
4	बिहार	0	0
5	छत्तीसगढ़	0	0
6	दिल्ली	0	0
7	गोवा	0	0
8	गुजरात	0	0
9	हरियाणा	0	0
10	हिमाचल प्रदेश	0	0
11	जम्मू-कश्मीर	0	0
12	झारखंड	0	0
13	कर्नाटक	0	1
14	केरल	1	34
15	मध्य प्रदेश	0	0
16	महाराष्ट्र	0	0
17	मणिपुर	0	0
18	मेघालय	0	0
19	मिजोरम	0	0
20	नागालैंड	0	0
21	ओडिशा	0	0
22	पंजाब	0	0
23	राजस्थान	0	0
24	सिक्किम	0	0
25	तमिलनाडु	289	790
26	त्रिपुरा	0	0
27	उत्तर प्रदेश	0	0
28	उत्तराखंड	0	0
29	पश्चिमी बंगाल	0	0
30	अंदमान तथा निकोबार द्वीप	0	0
31	चंडीगढ़	0	0
32	दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव	0	0

33	लद्दाख	0	0
34	लक्षद्वीप	0	0
35	पुडुचेरी	2	28
36	तेलंगाना	0	0
कुल(क)		**292**	**853**
ख. सीजीएचएस एवं केंद्र सरकार के संगठन		6	65
कुल(क+ख)		**298**	**918**

स्रोत: राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें एवं संबंधित एजेंसियां।

संलग्नक-II

विगत पांच वर्षों के दौरान सीसीआरएस एवं एनआईएस को वर्ष-वार आवंटित धनराशि:

क्र.सं.	**वित्तीय वर्ष**	**(धनराशि करोड़ में)**		
		सीसीआरएस	**एनआईएस**	**कुल**
1	2020-21	35.30	47.58	**82.88**
2	2021-22	39.06	44.76	**83.82**
3	2022-23	46.88	59.01	**105.89**
4	2023-24	50.91	68.40	**119.31**
5	2024-25	55.94	81.62	**137.56**
	कुल	**228.09**	**301.37**	**529.46**

संलग्नक-III

विगत पांच वर्षों में सिद्ध दिवस मनाने के लिए सीसीआरएस और एनआईएस को प्रदान की गई वित्तीय सहायता:

				(धनराशि रुपए में)
क्र.सं.	**वर्ष**	**सीसीआरएस**	**एनआईएस**	**कुल**
1	2024 (8वां सिद्ध दिवस)	65,16,529	93,71,915	1,58,88,444
2	2023 (7वां सिद्ध दिवस)	69,01,974	90,07,701	1,59,09,675
3	2022 (6ठां सिद्ध दिवस)	36,05,961	33,83,097	69,89,058
4	2021 (5वां सिद्ध दिवस)	50,00,000	38 ,05,000	88,05,000
5	2020 (तीसरा सिद्ध दिवस)	40,00,000	20,00,000	60,00,000
	कुल	**2,60,24,464**	**2,75,67,713**	**5,35,92,177**

संलग्नक-IV

देश में सिद्ध चिकित्सा महाविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या:

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सिद्ध मेडिकल कॉलेजों की संख्या	सिद्ध अनुसंधान संस्थानों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	0	1
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0
3	असम	0	0
4	बिहार	0	0
5	छत्तीसगढ़	0	0
6	दिल्ली	0	1
7	गोवा	0	1
8	गुजरात	0	0
9	हरियाणा	0	0
10	हिमाचल प्रदेश	0	0
11	जम्मू-कश्मीर	0	0
12	झारखंड	0	0
13	कर्नाटक	0	1
14	केरल	1	1
15	मध्य प्रदेश	0	0
16	महाराष्ट्र	0	0
17	मणिपुर	0	0
18	मेघालय	0	0
19	मिजोरम	0	0
20	नागालैंड	0	0
21	ओडिशा	0	0
22	पंजाब	0	0
23	राजस्थान	0	0
24	सिक्किम	0	0
25	तमिलनाडु	16	3
26	त्रिपुरा	0	0
27	उत्तर प्रदेश	0	0
28	उत्तराखंड	0	0
29	पश्चिमी बंगाल	0	0
30	अंदमान और निकोबार द्वीप	0	0
31	चंडीगढ़	0	0
32	दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव	0	0

33	लद्दाख	0	0
34	लक्षद्वीप	0	0
35	पुडुचेरी	0	1
36	तेलंगाना	0	0
कुल		**17**	**9**